केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(211)एसपी / 2009 /   दिनांकः 28.01.2014

<u>अल्पकालीन कोटेशन प्रपत्र सूची</u>

1. भरे हुये कोटेशन प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : दिनांक 10.02.2014 दोपहर बाद 1.00 बजे तक
2. कोटेशन खोलने की अन्तिम तिथि : दिनांक 10.02.2014 दोपहर बाद 3.00 बजे से
3. अमानत राशि : 1000 / – रूपये
4. कोटेशन की मान्य अवधि : 120 दिन

क्र.सं.	विवरण	दर प्रति माह प्रति व्यक्ति सभी करों सहित (अंको व शब्दों में)
1.	संस्थान के विभिन्न प्रकार के वाहन चलाने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध / ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने हेतु दो वाहन चालक उपलब्ध करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट / जॉब कोन्ट्रेक्ट	**Rs.**_________ रूपये ______________________________
		संस्थान से बाहर वाहन लेकर जाने पर प्रति रात्रि विश्राम की दर सभी करों सहित (अंको व शब्दों में)
		Rs._________ रूपये ______________________________

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें कोटेशन में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के विभिन्न प्रकार के वाहन चलाने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध / ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट / जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा एक से अधिक कार्मिक चाहने पर उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान को उपलब्ध करवाऊँगा तथा मैं प्रभारी, वाहन अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान / हस्तक्षेप करने / या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत / जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझें व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त कोटेशन प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यो का पूर्ण ज्ञान है।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत / राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे / हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे / हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार / फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन / मोबाईल नं.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

संस्थान के विभिन्न प्रकार के वाहन चलाने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/ठेके/जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने के लिये दो वाहन चालक उपलब्ध करवाने हेतु नियम व शर्ते

1. कोटेशन प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र/संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेगें (जो कि प्रपत्र सूचि में दर्शाया गया है)। **कोटेशन संस्थान के निदेशक महोदय के नाम क्रय अनुभाग में दिनांक 10.02.2014 तक समय 1.00 बजे (दोपहर बाद) तक प्रस्तुत करना है।** सशर्त, तार द्वारा भेजे गये तथा देरी से प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किये जाएगें। **ठेकेदार/प्रतिनिधि के पास लाईट/हैवी मोटर व्हीकल लाईसेन्स व लाईसेन्स के साथ बेज नं. का प्रमाण पत्र व पेन कार्ड की फोटोप्रति कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न नहीं करने पर कोटेशन को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।** कोटेशन उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे कोटेशनदाता के समक्ष खोले जाएगें।
2. ठेकेदार को कोटेशन के साथ 1000.00 (एक हजार) रूपये मात्र नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आईसीएआर यूनिट सीएसडब्लूआरआई अविकानगर, मालपुरा **(ICAR Unit CSWRI, Avikanagar, Malpura)** के नाम से देय जमा हो अमानत राशि के रूप मे प्राप्त की जावेगी। बिना अमानत राशि के कोटेशन स्वीकार नहीं किया जावेगा। सफल ठेकेदार को कार्य आदेश से पूर्व नियमानुसार जमानत राशि 10 प्रतिशत जमा करानी होगी उसके उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जावेगा।
3. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आवश्यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। दर प्रतिमाह प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रस्तुत करनी होगी तथा प्रतिमाह की दर के अतिरिक्त संस्थान से बाहर गाड़ी लेकर जाने कि स्थिति में प्रति रात्रि विश्राम की दर अलग से प्रस्तुत करनी होगी जिसका भुगतान प्रतिमाह प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ कुल राशि में जोड़कर प्रस्तुत करने पर किया जावेगा।
4. **कोटेशन भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समक्षा जावेगा।**
5. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
6. कोटेशनदाता या उनके द्वारा नामित किये जाने वाले प्रतिनिधि से कोटेशन खोलने की तिथि या समिति द्वारा निश्चित की जाने वाली तिथि को वाहन चलाने की दक्षता प्रमाणित करने के लिये संस्थान के किसी भी वाहन को चलवाया जा सकता है।
7. ठेकेदार/प्रतिनिधि को सभी प्रकार के वाहन जैसे बस, ट्रक, कार, जीप, मिनी बस आदि चलाने का अनुभव हो तथा भारत में कही भी वाहन चलाने में सक्षम होना अनिवार्य है।
8. वाहन चलाने का समय मुख्यालय पर रहने पर 8 से 10 घण्टे का होगा जो कि आवश्यकतानुसार कम ज्यादा हो सकता है तथा संस्थान से बाहर जाने की स्थिति में कोई समय सीमा निश्चित नहीं होगी।
9. ठेकेदार/प्रतिनिधि को सेक्टर ड्यूटी, टी.ओ.टी. एरिया, मालपुरा के लोकल इण्डेन्ट के अतिरिक्त संस्थान के बाहर राजस्थान व संस्थान के उपकेन्द्रों के साथ–साथ देश के किसी भी राज्य के लिये भेजा जा सकता है/वाहन चलवाया जा सकता है। उक्त अवधि के दौरान संस्थान की तरफ से ठेकेदार द्वरा प्रस्तुत मासिक दर के अतिरिक्त किसी प्रकार की राशि देय नहीं होगी अतः सरकारी दौरे पर बाहर जाने कि स्थिति में **रात्रि विश्राम** कि दर प्रति रात्रि विश्राम के हिसाब से अनुबन्ध पत्र में मासिक दर के अतिरिक्त अलग से दर्शायी जावें (अथार्त रात्रि विश्राम दर प्रति रात्रि के हिसाब से अलग से देवे।
10. ठेकेदार/प्रतिनिधि के पास लाईट व हैवी दोनों प्रकार के वाहन चलाने का लाईसेन्स होना अनिवार्य है साथ ही कम से कम पांच वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव वांछनीय है। चालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा 60 साल से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिये। चालक की आई साईड (आँखे) कमजोर नहीं होनी चाहिये।
11. ठेकेदार/प्रतिनिधि को कार्यालय समय के अतिरिक्त आकस्मिक आधार पर किसी भी समय आवश्यकता होने पर वाहन चलाने हेतु बुलाया जा सकता है। ऐसी आपातकालीन परिस्थिति में बुलाये जाने पर अनिवार्यरूप से उपस्थित होना पड़ेगा तथा इस हेतु कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
12. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी।
13. ठेकेदार/प्रतिनिधि को कार्यालय में समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। ठेकेदार/प्रतिनिधि समय पर उपस्थित नहीं हो सकने या देर होने की या अनुपस्थित रहने की स्थिति में दूसरा प्रतिनिधि/वाहन चालक तुरन्त प्रभाव से उपलब्ध करवाना आवश्यक है, ऐसा विशिष्ट परिस्थिति में ही स्वीकार किया जावेगा। ऐसे एवजी प्रतिनिधि/चालक में उपरोक्त सभी योग्यताएँ होना अनिवार्य है। साथ ही ऐसी परिस्थिति में प्रभारी, वाहन को अवगत कराया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर ठेकेदार के देय बिल से कटौती की जा सकती है/अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
14. अनुबन्धकर्ता को भारत सरकार द्वारा जारी श्रमिक कानूनों एवं इस सम्बन्ध मे समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. ठेकेदार/प्रतिनिधि को वाहन चलाने के साथ–साथ वाहन का रख–रखाव का भी ध्यान रखना होगा एवं गाड़ी की लॉगबुक समय पर पूरी करनी होगी।
16. ठेकेदार/प्रतिनिधि वाहन चालक संस्थान में कर्तव्य निष्पादन के दौरान किसी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन नहीं करें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी/अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी।
17. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि
18. ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा क्षतिपूर्ति स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट लिया जावेगा।

Created with nitro PDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

19. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
20. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30–45 दिन में किया जावेगा।
21. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार आयकर एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
22. ठेकेदार/प्रतिनिधि को वाहन चलाने से पूर्व वाहन की साफ–सफाई, आयल–ग्रीस, हवा, पानी, ईधन आदि से संबंधित समस्त कार्य एवं जांच की पूर्ण जिम्मेदारी रखनी होगी। साथ ही वाहन चालक को वाहन के ईंधन, आयल, टायर आदि की मितव्ययता का भी ध्यान रखना होगा। वाहन किसी भी प्रकार की खराबी की सूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभारी, वाहन को उपलब्ध करानी होगी।
23. ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता को उपलब्ध करवाये जाने वाले प्रतिनिधियों/वाहन चालकों को स्वयं के खर्चे पर वर्दी उपलब्ध करवानी होगी। साथ ही प्रतिनिधि अनिवार्यरूप से वर्दी पहनकर ही कार्य पर उपस्थित होवें।
24. ठेकेदार को एक प्रतिनिधि संस्थान की बस चलाने हेतु उपलब्ध करवाना होगा जिसका ड्यूटी टाईम प्रातः 6:30 से सायं 5:30 तक होगा तथा प्रातः 10:30 से 3½ घण्टे को लंच ब्रेक होगा। उक्त अवधि के दौरान संस्थान के स्टॉफ को मालपुरा से लाना व ले जाना, केन्द्रीय विद्यालय के एवं स्टेट स्कूल के बच्चों को समयानुसार मालपुरा से लाना व ले जाना होगा। विद्यालय समय परिवर्तन होने की स्थिति में समय में परिर्वतन किया जा सकता है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा बर्दाश्त नहीं कि जावेगी।
25. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
26. श्रमिको के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल, लेखा जोखा आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को रखने होगें।
27. वाहन चलाने से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी, वाहन अनुभाग या उनके प्रतिनिधि के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।
28. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर वाहन अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
29. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
30. आकस्मिक अवस्था में या संस्थान की आवश्यकतानुसार किसी भी समय ठेकेदार से अतिरिक्त वाहन चालक मांगा जा सकता है, अतः ठेकेदार को मांग के आधार पर निर्धारित दर पर वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा।
31. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
32. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
33. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
34. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
35. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध ओदश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
36. सफल ठेकेदार को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
37. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी कोटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
38. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in पर उपलब्ध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तें भली प्रकार से पढ़ली है तथा मुझे स्वीकार्य है। मैं संलग्न निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई दरों पर संस्थान में विभिन्न प्रकार के वाहन चलाने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/जॉबकोन्ट्रेक्ट के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का पता

माबाईल नं.

संलग्नक : 1. पेन कार्ड की प्रतिलिपि
2. 02 वैद्य लाईसेन्स की प्रतिलिपि
3. 1000 रूपये का डिमान्ड ड्राफ्ट
4. अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional